

(2)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर-492001

कमांक 538 / जी.304 / 2010 / आरटीआई / 1, रायपुर, दिनांक 8 मार्च, 2011,
प्रति,

✓ जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मंत्रालय परिसर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय:-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी देने
बाबत ।

आपका पत्र कमांक 40 / आरटीआई / 2005 / 387 दिनांक 25.2.2011,
—000—

आपके विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में जानकारी सूचित किया
जाता है कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
की धारा-2 (च) में विनिर्दिष्ट "सूचना" एवं (अ) में विनिर्दिष्ट "सूचना का अधिकार"
की परिभाषा के अनुरूप नहीं होने से उक्त जानकारी प्रदाय करने की बाध्यता नहीं
है एवं अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रश्नात्मक एवं काल्पनिक स्वरूप की
जानकारी के संबंध में जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया जाना
अपेक्षित नहीं है ।

2/- निर्देशानुसार अनुरोध है कि आवेदक को सामान्य प्रशासन विभाग से
जिस अभिलेख (नियम/निर्देश) की प्रतियां चाहिए, उससे संबंधित कमांक/दिनांक
का स्पष्ट उल्लेख करें, ताकि संबंधित परिपत्र/नियम/निर्देशों की प्रतियां प्रदाय
की जा सकें ।

(सैयद कौसर अली)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

एवं सहायक जन सूचना अधिकारी,
सामान्य प्रशासन विभाग

(2/3)